10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

158

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ____/2017 पुनरावलोकन R-25-229-II-17

श्रीमती कुसुम मिश्रा पत्नी स्व.जगदीश प्रसाद मिश्रा

निवासी वार्ड क्रमांक–20, पटेल मार्ग, अशोकनगर

विरूद्व

1. रामकृष्ण पुत्र प्रभूदयाल ब्राहम्ण
2. राजेश पुत्र बालकृष्ण मिश्रा

निवासी वार्ड क्रमांक–20, पटेल मार्ग, अशोकनगर

श्री ... द्वारा आज दि. 17/1/2017 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
17-1-17

सदस्य श्री एम.के. सिंह द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक–2174–2/2012 में पारित आदेश दिनांक 21/04/2016 के पुनरावलोकन हेतु आवेदन अंतर्गत धारा–51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

पुनरावलोकन आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है–

1. यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में ऐसी त्रुटि हुयी है जो पुनरीक्षण आवेदन एवं विवादित आदेश को पढ़ने मात्र से स्पष्ट है तथा पुनरावलोकन के लिये पर्याप्त आधार निर्मित करती है।

2. यह कि, तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक–1 ने संहिता की धारा–178 के अंतर्गत बंटवारे का आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें अभिकथन किया गया था कि आवेदक तथा अनावेदकगण का संयुक्त परिवार है संयुक्त परिवार की सम्पति का बंटवारा हो चुका है जिसका एक व्यवस्था पत्र लिखा गया था अतः व्यवस्था पत्र के अनुसार बंटवारा किया जायें।

3. यह कि, आवेदक ने बंटवारे के आवेदन पत्र का उत्तर देते हुये न्यायालय से निवेदन किया था कि संहिता की धारा–178 के अंतर्गत तहसील न्यायालय को कृषि भूमि का बंटवारा करने का अधिकार है, बंटवारा राजस्व अभिलेखो में अंकित एवं वर्णित स्वत्व के अनुसार किया जाये।

4. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक–1 के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित व्यवस्था पत्र के अनुसार बंटवारा फर्द बनाने का निर्देश दिया जिससे परिवेदित होकर आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया था।

5. यह कि, आवेदक ने अपने पुनरीक्षण आवेदन में संहिता की धारा–178 की उपधारा–3 का उल्लेख करते हुये निवेदन किया था कि राजस्व न्यायालय, राजस्व खसरे में वर्णित स्वत्व के अनुसार बंटवारा करने का विचाराधिकार रखते है, व्यवस्था पत्र आवेदक को स्वीकार नहीं है एवं यदि अनावेदक–1 राजस्व अभिलेखो में वर्णित स्वत्व से पृथक जाकर बंटवारा चाहता है

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 229–दो/2017 जिला–अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआ दि के हस्ताक्षर
22 –3 –18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। 2–आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह रिव्यु आवेदन पत्र अंतर्गत म0 प्र0 भू–राजस्व 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि प्रकरण क्रमांक निगरानी 2174–दो/2012 में पारित आदेश दिनांक 21.4.16 में टंकण की त्रुटि से अनावेदकगण के स्थान पर आवेदक टाइप हो गया है। इस त्रुटि को सुधार हेतु धारा–51 का आवेदन को भूल सुधार का आवेदन धारा–32 में मान्य करते हुये आदेश पारित किया जा रहा है। 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 2174–दो/2012 में पारित आदेश दिनांक 21.4.16 में टंकण की त्रुटि से आदेश के पैरा–5 की लाईन नम्बर 4 में आवेदिका के स्थान पर अनावेदकगण होना चाहिये लेकिन लिपिकीय त्रुटि से अनावेदिका टाइप हो गया है जिसे सुधार कर अनावेदकगण किया जाना चाहिये। 4– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा अनुरोध स्वीकार किया जाता है आदेश के पैरा–5 की लाईन नम्बर 4 में आवेदिका के स्थान पर अनावेदकगण पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। शेष आदेश यथावत रहेगा। सदस्य	